

## कृषकों द्वारा मृदा परीक्षण हेतु आवेदन

किसान का नाम  पुत्र /पुत्री  गाँव  
 डाकघर  विकासखण्ड  जिला

1. मैंने अपने खेत (लोकल नाम) एवम खसरा नं०  मिटटी का नमूना  तारीख को लिया है तथा मेरा /मेरे खेत समतल/दलानदार/सीदीनुमा है।।।।।
2. मेरी कृषि योग्य भूमि सिंचित/ असिंचित है यदि सिंचित हो तो पानी का स्रोत कुहल/नलकूप/कुआं है।
3. मैंने पिछले सीजन (खरीफ/रबी) में  फसल बोई थी तथा  क्विंटल गोबर की खाद /वर्मी कम्पोस्ट डाली थी तथा  किलोग्राम रासायनिक खादों जैसे 12:32:16/15:15:15/यूरिया /कैन /सिंगल सुपर फास्फेट(अलग -अलग ब्यौरा दें) का प्रयोग किया था।

आवेदक का नाम एवम हस्ताक्षर

प्रयोगशाला मे मिटटी का नमूना  
प्राप्त करने वाले विभाग के कर्मचारी/  
अधिकारी का पदनाम व हस्ताक्षर

(किसान से प्राप्त मिटटी का नमूना दिनांक  को प्राप्त हुआ था इसका इन्द्राज कर्म संख्या  पर किया गया है )

### आवश्यक सूचना :-

1. यदि मृदा परीक्षण की रिपोर्ट 60 दिन के भीतर प्राप्त न हो उस दशा में किसान जिला के उप कृषि निदेशक के पास अपील कर सकता है।
2. यदि एक से अधिक मिटटी के नमूने परीक्षण हेतु दिए गये हो उस दशा मे हर नमूने का अलग नंबर होगा।

3. आवेदन की दो प्रतियाँ मिट्टी के नमूने के साथ देनी होगी तथा एक प्रति नमूने का इंड्राज करने के बाद किसान को दी जाएगी।

मृदा परीक्षण प्रयोगशाला  
जिला